

सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद- आजमगढ़/ बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 06.07.2025

जनपद आजमगढ़

01. आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 151 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 35 लाख रुपये) किया गया बरामद; वर्ष 2024 से अब तक कुल 1812 (वर्ष 2025 में कुल 587) एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 03 करोड़ 35 लाख रुपये) बरामद कर स्वामियों को किये जा चुके हैं सुपुर्द।

अवगत कराना है कि हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा सी0ई0आई0आर पोर्टल पर आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हे बरामद करने हेतु सीसीटीएनएस प्रभारी जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था।

➡ जनपद में माह फरवरी 2024 से गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा सी0ई0आई0आर पोर्टल पर आनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा माह फरवरी 2024 से माह मई 2025 तक कुल 1661 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये) बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किये जा चुके हैं। जिसके क्रम में-

➡ माह जून 2025 में आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद में खोए हुए कुल 151 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 35 लाख रुपये) को सी0ई0आई0आर0 पोर्टल के माध्यम से बरामद किया गया है।

➡ आज दिनांक- 06.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में बरामद एण्ड्रायड मोबाइल फोन को प्रत्येक स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

➡ इस तरह विगत 16 माह में कुल 1812 एण्ड्रायड मोबाइल फोन (कीमत लगभग 03 करोड़ 35 लाख रुपये) को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है।

02. थाना- जीयनपुर: अवैध असलहा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर शातिर अपराधी गिरफ्तार । गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक 05.07.2025 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रतिबंधित पशु का बछड़ा वध करने के लिये लेकर पैदल मसोना गांव से रजादेपुर की तरफ आ रहा है जो मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधी है जिसके पास अवैध असलहा भी हो सकता है तथा उसके पीछे पीछे उसके दो साथी सुपर स्प्लेन्डर मोटरसाईकिल से आ रहे हैं । इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुँचकर घेरघार कर उक्त व्यक्ति को बछड़े के साथ पकड़ लिया गया तथा पीछे पीछे चलने वाले सुपर स्प्लेन्डर से दोनो व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास किया

गया लेकिन उक्त दोनों व्यक्ति मौके से गाड़ी से कूदकर फरार हो गये, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर का बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि गुलाब और फखरे आलम दोनों मोटर साइकिल से आगे पीछे रहते हुए पुलिस की मौजूदगी का आभास कराते हैं। हम लोग प्रतिबंधित पशुओं को बध हेतु ले जाते हैं। जिससे हम लोगो को काफी धन अर्जित होता है जिसको हम सभी लोग आपस में बराबर- बराबर बांट लेते हैं। पकड़े गये व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। अतः पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर मु०अ०स० 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 207 MV ACT बनाम 1. अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 2. गुलाब पुत्र बदरुद्दीन 3. फखरे आलम उर्फ फखरु पुत्र बदरुद्दीन निवासी गण मोहल्ला कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व मु०अ०स० 259/2025 धारा 3/25 A ACT बनाम अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 अदद बछड़ा तथा एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०स० 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 207 MV ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु०अ०स० 259/2025 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1-अरशद उर्फ बहुधा पुत्र एकलाख निवासी कुरैशनगर कस्बा जीयनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ H.S. संख्या 121 A थाना जीयनपुर आजमगढ़

1. मु०अ०स० 56/2021 धारा 307/34 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु०अ०स० 57/2021 धारा 411/413/419/420/467/468/471 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. मु०अ०स० 187/2021 धारा 3(1)उ०प्र० गैरेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

4. मु०अ०स० 380/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

5. मु०अ०स० 703/2022 धारा 34/323/504/506/427 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

6. मु०अ०स० 36/2023 धारा 379/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

7. मु०अ०स० 53/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

8. मु०अ०स० 54/2023 धारा 379/413 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

9. मु०अ०स० 70/2023 धारा 379/411/34/120B भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

10. मु0अ0स0 74/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0स0 77/2023 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0स0 81/2023 धारा 307/467/468/471/411/413/414/34/120B भादवि व 3/5A/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता व 3/25 A ACT थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0स0 95/2023 धारा 379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
14. मु0अ0स0 250/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
15. मु0अ0स0 258/2025 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 207 MV ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
16. मु0अ0स0 259/2025 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
17. मु0अ0स0 603/2024 धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
18. मु0अ0स0 605/2024 धारा 112(2)/303(2)/317(2)/317(4)/317(5) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
19. मु0अ0स0 395/2024 धारा 305/317(2) BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
20. मु0अ0स0 436/2024 धारा 4/25 A ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
21. मु0अ0स0 291/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
22. मु0अ0स0 338/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अजय यादव थाना जीयनपुर आजमगढ़
2. उ0नि0 अमित कुमार वर्मा थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 बिन्देश गौड़ थाना जीयनपुर आजमगढ़
4. का0 प्रेमचन्द थाना जीयनपुर आजमगढ़
5. का0 अर्जुन कुमार थाना जीयनपुर आजमगढ़

03. थाना जहानागंज: ताजिया जुलूस के दौरान मारपीट करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना-

दिनांक 04.07.2025 को थाना स्थानीय के वादी श्री सहाबुद्दीन पुत्र सिराजूद्दीन ग्राम भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ थाना उपस्थित आकर बावत आरोपीगण द्वारा वादी मुकदमा के मोहर्म्म त्यौहार के ताजिया जुलूस खेलने को लेकर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डा राड चाकू व तलवार से मारना पिटना से बेहोश होना व गाली गौलाज देते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में आधार पर मु0अ0सं0-218/25 धारा 115(2) / 352 / 351(3)/ 118(1)/109/110/3(5) BNS दिनांक घटना 03.07.25 समय 11.30 बजे , बनाम 1 साहिल पुत्र नुरुलहसन 2. समीर उर्फ सद्दाम पुत्र अफजल 3. महबूब पुत्र मंजूर 4. साजिद पुत्र नुरुलहसन 5. सोनु उर्फ शेर अलि उर्फ अफजल 6. अफजल पुत्र अज्ञात और 15, से 20 लोग अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसमें

अभियुक्तगण रमजान पुत्र मनवर, आलमगीर पुत्र जब्बार, हैदर अली पुत्र मनवर, मुक्तार पुत्र ईजरिश नि० गण ग्रा० भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया

दिनांक 05/07/2025 को वादी मुकदमा आलमगीर पुत्र जब्बार ग्राम व पो० भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपीगण द्वारा जुलुस में नारेबाजी करने को लेकर एक राय होकर लाठी, डण्डा, तलवार धारदार हथियारों से वादी मुकदमा के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया, जिससे वादी मुकदमा के सर में चोट लगने से बेहोश हो जाने तथा बीच बचाव हेतु मुख्तार पुत्र इदरीस व सोनू (सेरअली) पुत्र अफजल के आने पर इनको भी मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया, तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 221/25 धारा 115(2), 109(1), 351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS दिनांक घटना 03.07.25 समय 11.30 बजे रात्रि बनाम 1. सहाबुद्दीन 2. अजुहरुद्दीन (विटू) पुत्रगण सेराजुद्दीन, 3. सहवाज पुत्र बरकत, 4. फैयाज पुत्र अयुब, 5. रिजवान पुत्र मुख्तार तारिक, 6. महबुब (प्रधान) पुत्र सेराजुद्दीन, 7. मेराज पुत्र सेराजुद्दीन, 8. एकलाख पुत्र बरकत निवासीगण भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ तथा 15 अज्ञात व्यक्तियों पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त आरिफ पुत्र मुनव्वर निवासी भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ का नाम प्रकाश में जिसकी विवेचना उ०नि० लालबहादुर द्वारा की जा रही है। जिसके क्रम में.....

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 06.07.2025 को उ०नि० लालबहादुर मय हमराह उ०नि० विनय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगणों के घर पर दबिस दिया गया तो मु०अ०सं० 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 3(5), 118(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1. रमजान पुत्र मनवर, 2. आलमगीर पुत्र जब्बार 3. हैदर अली पुत्र मनवर, 4. मुक्तार पुत्र इद्रीश निवासीगण भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़ व मु०अ०सं० 221/25 धारा 115(2), 109(1), 351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त गण 1. मो० अजरुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन, 2. तारिक महमूद पुत्र सिराजुद्दीन, 3. आरिफ पुत्र मुनौवर साकिनान भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ घर पर मौजूद मिले जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 14.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु०अ०सं० 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109, 110, 3(5), 118(1) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

2. मु०अ०सं० 221/25 धारा 115(2), 109(1), 351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त

1. रमजान पुत्र मनवर,
2. आलमगीर पुत्र जब्बार
3. हैदर अली पुत्र मनवर,
4. मुक्तार पुत्र इद्रीश निवासीगण भुजही थाना जहानागंज आजमगढ़
5. मो० अजरुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन,

6. तारिक महमूद पुत्र सिराजुद्दीन,
7. आरिफ पुत्र मुनौवर साकिनान भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० लालबहादुर थाना जहानागंज आजमगढ़
2. उ०नि० विनय कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे०का० विपिन सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
4. का० विनोद चौधरी थाना जहानागंज आजमगढ़
5. का० अनिल कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

जनपद –मऊ

01. कुल 09 पेटी अंग्रेजी शराब कीमत करीब 55 हजार रुपये व स्विफ्ट वाहन बरामद, अवैध तस्करी में लिप्त

02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध भंडारण व अवैध रूप से बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए घटना में शामिल अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर व एसओजी, स्वाट टीम/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.07.2025 को समय 23.55 बजे पटेल ढाबा से पूरब निकट बलिया मोड़ भीटी थाना कोतवाली नगर मऊ से अंग्रेजी शराब 0288 अदद (180ML) आफिसर्स च्वाइस ओरिजनल विस्की व 144 अदद 08 PM स्पेशल (180ML) शराब को मुखबिर की सूचना पर बरामद करते हुए, शराब के अवैध तस्करी में लिप्त दो शातिर अभियुक्त 01. आदित्य प्रकाश पुत्र हरि शंकर प्रसाद निवासी मुस्तफागंज थाना मीनापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 20 वर्ष 02. राहुल कुमार पुत्र सोने लाल निवासी मुथहां फकिराना थाना मीनापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष को मौके से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर अन्य संलिप्त अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.सं. 216/2025 धारा धारा 60, 63 उ०प्र० आबकारी अधिनियम व 318(2), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. आदित्य प्रकाश पुत्र हरि शंकर प्रसाद निवासी मुस्तफागंज थाना मीनापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 20 वर्ष
2. राहुल कुमार पुत्र सोने लाल निवासी मुथहां फकिराना थाना मीनापुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी -

कुल 09 पेट्री में अंग्रेजी शराब 0288 अदद (180ML) आफिसर्स च्वाइस ओरिजनल विस्की व 144 अदद 08 PM स्पेशल (180ML) कीमत करीब 55 हजार रूपये व वाहन स्विफ्ट नं. BR01 DD 8098 कीमत करीब 5 लाख रूपये बरामद ।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ.नि. सुभाष चन्द्र, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ.नि. श्री प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी व स्वाट टीम/सर्विलांस जनपद मऊ
4. हे.का. रवि रंजन राय, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का. रवि किरण सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का. शिव भूषण तिवारी, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. का. नीतिन यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. का. शिवम भारती, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. हे.का.नीरज शर्मा, स्वाट टीम जनपद मऊ
10. का.अविनाश धर दूबे, स्वाट टीम जनपद मऊ
11. का. विराट पटेल, स्वाट टीम जनपद मऊ
12. का. अनिरुद्ध सिंह, एसओजी टीम जनपद मऊ
13. का.रिषभ द्विवेदी, एसओजी टीम जनपद मऊ
14. का. अनुदेश बनौधा, एसओजी टीम जनपद मऊ
15. हे.का.राकेश यादव, सर्विलांस टीम जनपद मऊ
16. का. बृजेश मौर्या, सर्विलांस टीम जनपद मऊ
17. का. अश्वनी कुमार गोंड, सर्विलांस टीम जनपद मऊ
18. चालक हे.का.बबन सिंह चौहान, सर्विलांस टीम जनपद मऊ ।

2.नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जायका ढाबा के पास से मु0अ0सं0 35/25 धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 ,504,506 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्तगण ऋषभ जैन पुत्र स्व0 विनोद जैन निवासी इन्द्रानगर सी ब्लॉक मकान नं0 1169 थाना गाजीपुर जनपद लखनऊ उम्र करीब 47 वर्ष, दीपक चौहान पुत्र बृजलाल चौहान निवासी ग्राम टूटीडाड थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 39 वर्ष, विपिन चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान निवासी ग्राम डेराघाट थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लाल साहब गौतम थाना घोसी जनपद मऊ ।

2. हे0का0 विमलेश सिंह थाना घोसी जपनद मऊ ।
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना घोसी जपनद मऊ ।
4. का0 दिलीप भारद्वाज थाना घोसी जपनद मऊ ।

3.अवैध 432 पाउच अंग्रेजी शराब (77.76 लीटर), एक कार के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध भण्डारण व अवैध रूप से बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए घटना में शामिल अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के कुशल पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी व एसओजी, स्वाट टीम/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.07.2025 को ताजोपुर रेलवे पुल के उपर गाजीपुर गोरखपुर हाइवे मार्ग पर से अवैध 432 पाउच अंग्रेजी शराब (77.76 लीटर) व घटना में प्रयुक्त एक कार मुखबिर की सूचना पर बरामद करते हुए , शराब के अवैध तस्करी में लिप्त तीन शातिर अभियुक्त 01. कन्हैया मोदक सिंह निवासी सोहिजनडीह थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार, 02. सुमित कुमार झा पुत्र नागेन्द्र झा निवासी निवासी सोहिजनडीह थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार, 03. सोनल कुमार पुत्र उपेन्द्र राउत निवासी मनकी थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को मौके से गिरफ्तार किया गया है । उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना सरायलखन्सी में अभियोग पंजीकृत कर अन्य संलिप्त अभियुक्तगणों के सम्बन्ध में जानकारी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद चार पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.सं. 312/2025 धारा धारा 60, 63 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम व 318(2), 336(2), 338, 340(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. कन्हैया मोदक सिंह निवासी सोहिजनडीह थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार,
2. सुमित कुमार झा पुत्र नागेन्द्र झा निवासी निवासी सोहिजनडीह थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार,
3. सोनल कुमार पुत्र उपेन्द्र राउत निवासी मनकी थाना हथौडी जनपद मुजफ्फरपुर बिहार ।

बरामदगी -

1. अवैध 432 पाउच अंग्रेजी शराब (70.76 लीटर) ।
2. घटना में प्रयुक्त एक कार ।

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम-

2. प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
3. निरीक्षक अपराध हरेन्द्र सिंह, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
4. उ.नि. श्री प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी व स्वाट टीम/सर्विलांस जनपद मऊ
5. हे.का. अभिषेक दूबे, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
6. का. सुनील विश्वकर्मा, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

7. का. मौर्या दीपक कुमार, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
8. का. विवेक सिंह, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ
9. हे.का.नीरज शर्मा, स्वाट टीम जनपद मऊ
10. का.अविनाश धर दूबे, स्वाट टीम जनपद मऊ
11. का. अनिरुद्ध सिंह, एसओजी टीम जनपद मऊ
12. का.रिषभ द्विवेदी, एसओजी टीम जनपद मऊ
13. का. अनुदेश बनौधा, एसओजी टीम जनपद मऊ
14. हे.का.राकेश यादव, सर्विलांस टीम जनपद मऊ
15. का. बृजेश मौर्या, सर्विलांस टीम जनपद मऊ
16. का. अश्वनी कुमार गोंड, सर्विलांस टीम जनपद मऊ ।
17. चालक हे.का.बबन सिंह चौहान, सर्विलांस टीम जनपद मऊ ।

जनपद – बलिया

1.थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा दिनांक 06.07.2025 को वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 में पंजीकृत आबकारी अभियोगो में बरामदशुदा अंग्रेजी व देशी शराब का मा0 न्यायालय के आदेश से विनिष्टीकरण किया गया ।

शासन द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन क्लीन अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बलिया उत्तरी श्री अनिल कुमार झा के निकट पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर श्री रजनीश कुमार व प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरपुर श्री प्रवीण कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.07.2025 को थाना सिकन्दरपुर पुलिस टीम द्वारा श्रीमान् मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया महोदय के आदेश के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी श्री रजनीश कुमार महोदय सिकन्दरपुर, श्रीमान वीरपाल सिंह एपीओ बलिया तथा थाना स्थानीय के दो सम्भ्रान्त व्यक्ति एवं प्रभारी निरीक्षक सिकन्दरपुर श्री प्रवीण कुमार सिंह व हे.मु. राजाराम थाना सिकन्दरपुर एवं सभी उपरोक्त अधिकारीगण व सम्भ्रान्त व्यक्तियों की उपस्थिति में थाना स्थानीय पर वर्ष 2021, वर्ष 2022, वर्ष 2023, वर्ष 2024 के पंजीकृत कुल 308 आबकारी अभियोगो में बरामदशुदा शराब अंग्रेजी व देशी मिलाकर 7287 ली0 (देशी शराब- 7005 ली0 , अंग्रेजी शराब - 282 ली0) को थाना परिसर में पर्याप्त गहराई का गड्ढा खोदकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही पूर्ण की गयी । समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गयी ।